भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2479

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

2479. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, जिसमें लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया है, के आलोक में महिला और बाल विकास मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को बच्चों की देखरेख, महिला सुरक्षा कार्यक्रम और कौशल विकास पहलों जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु वर्ष 2024-25 के लिए अपने बजटीय आवंटन का किस प्रकार उपयोग करेगा; और

(ख) मंत्रालय उक्त आवंटन से क्या विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने का विचार रखता है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): महिला और बाल विकास मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए बच्चों की देखरेख, महिला सुरक्षा कार्यक्रम और कौशल विकास पहलों जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है और इसी के अनुसार 2024-25 के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं। ऐसी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन वात्सल्य: यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित

लागत साझा करने के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं दोनों शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि उपलब्ध कराते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के तहत स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर और देखभाल और सुरक्षा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आफ्टर केयर की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिशन वात्सल्य योजना के लिए बजट आवंटन 1472.17 करोड़ रुपये है।

(ii) प्रधान मंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) 01.01.2017 से देशभर में चलाई जा रही है। पीएमएमवीवाई एक केंद्रीय प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके अंतर्गत लाभार्थी के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

आगे उल्लेखनीय है कि पीएमएमवीवाई के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यात्मक शीर्षों, अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के लिए क्रमशः 297.52 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 14.39%) और 158.99 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 7.69%) निर्धारित किए गए हैं ताकि एससी/एसटी समुदायों की विशेष रूप से देखभाल की जा सके। इस योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम देने; गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में बेहतर स्वास्थ्य चाहने वाला व्यवहार; और बालिका के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।

(iii) राष्ट्रीय आंगनबाड़ी-सह-क्रेच कार्यक्रम (पालना): महिलाओं की शिक्षा, विकास और रोजगार के लिए सरकार की निरंतर पहलों के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के लिए अवसर बढ़े हैं, और अब अधिक से अधिक महिलाएं लाभकारी रोजगार में हैं, अपने घरों के भीतर या बाहर काम कर रही हैं। बढ़ती औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने भी शहरों में प्रवास को बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस प्रकार, ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चे, जिन्हें पहले संयुक्त परिवारों से काम करते समय

सहयोग मिलता था, उन्हें अब डे-केयर सेवाओं की आवश्यकता पड़ रही है जिससे जिससे बच्चों की अच्छी देखभाल हो सके और उन्हें सुरक्षा मिल सके। अच्छी डे केयर सेवा की कमी से प्रायः महिलाओं के बाहर जाकर काम करने में बाधा पहुंचती है।

कामकाजी माताओं द्वारा अपने बच्चों को उचित देखभाल और सुरक्षा देने से संबंधित इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, पालना योजना के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्रेच सेवाओं से घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप मिल जाता है।

(iv) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय हब (एनएचईडब्ल्यू): मिशन शक्ति की व्यापक योजना में दो उप-योजनाएँ हैं, जिनका नाम "संबल" और "सामर्थ्य" है। 'सामर्थ्य' उप-योजना में एक नया घटक है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब (एचईडब्ल्यू) के रूप में जाना जाता है, जिसे संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिलाओं के पोषण और ज्ञान आधारित उन्नति, लास्ट माइल डिलीवरी और महिलाओं की क्षमताओं की पहचान के लिए सहायक कार्रवाई: महिला सशक्तिकरण का हब) कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है, जिसका उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें, ताकि महिलाओं के लिए राज्य की कार्रवाई में कमियों को दूर किया जा सके और सरकारी योजनाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करके अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा दिया जा सके। इस उद्देश्य को जागरूकता सृजन करने, संवेदनशीलता, प्रशिक्षण आदि के लिए ज्ञान और सूचना सेवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। 2023-24 के दौरान 72.04 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था जबकि 2024-25 के दौरान अब तक 29.11 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

******